न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : शिवप्रसाद एम. नकाते, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 07 / 2018

प्रार्थी–
आवास फाईनेंस लिमिटेड
201–202, द्वितीय तल, साउथ
एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर
इण्डस्टीयल एरिया,
जयपुर–302020
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. कैलाश कुमार पुत्र श्री मदरूपाराम
पता–रैगरपुरा वार्ड न. 3, बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
दूसरा पता–पट्टा नंबर 406, खसरा
नम्बर 1422 / 716 वार्ड न. 3 रामदेव
कॉलोनी, बालोतरा जिला बाड़मेर
2. श्रीमति जमनादेवी पत्नी कैलाशकुमार
पता–रामदेव कॉलोनी, वार्ड न. 3
बालोतरा (ग्रामीण) जिला बाड़मेर
3. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री शंकरलाल
पता–वार्ड न. 4 रैगरपुरा बालोतरा
ग्रामीण बालोतरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–

1. श्री चन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18 / 12 / 2018

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण कैलाश कुमार व अन्य के विरूद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी बैंक / वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण कैलाश कुमार व अन्य की प्रार्थना पर एवं अप्रार्थीगण सं. 3 की व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज मे कुल 1800000 / – रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक

द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप मे अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व की सम्पत्ति यथा कस्बा बालोतरा के पट्टा नम्बर 406, खसरा नंबर 1422/716, वार्ड नंबर 3, रामदेव कॉलोनी, बालोतरा जिला बाड़मेर बनाप 1312.50 वर्गफीट एवं उस पर निर्मित भवन को प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार कर साम्यिक बन्धक निष्पादित किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.10.2017 तक बकाया राशि रूपये 1891356/– भुगतान नही करने पर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये तथा नोटिस का समाचार पत्रों मे भी प्रकाशन कराया गया। प्रार्थी बैंक के पक्ष मे अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण सं. 1 से 2 के कब्जे व स्वामित्व मे है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे मे लेना सम्भव नही है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 1800000/– ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से दिनांक 06.06.2018 तक कुल 1891356/– बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है तथा समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से प्रार्थी के समक्ष नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा न ही अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि भुगतान किया है। इस न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि मेरा नियमित व्यवसाय नोटबंदी के कारण

प्रभावित हुआ तथा ऋण की किश्त अदायगी मे विफल रहा। अप्रार्थी सं. 1 ने बकाया ऋण के पेटे 120300 रूपये जमा करवाये है तथा आगे भी नियमित रूप से किश्त अदा किये जाने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई किंतु इसके बाद पुनः किश्त अदायगी नही किये जाने से प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र मे विधिक आदेश प्रसारित करने का निवेदन किया। ऐसे मे अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था से प्रतिभूति के विरूद्ध प्राप्त ऋण की अदायगी समय पर किये जाने मे विफल रहने के कारण वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 से 2 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष मे प्रतिभूति के रूप मे रखी गई उक्त जायदाद **कस्बा बालोतरा के पट्टा नम्बर 406, खसरा नंबर 1422/716, वार्ड नंबर 3, रामदेव कॉलोनी, बालोतरा जिला बाड़मेर बनाप 1312.50 वर्गफीट एवं उस पर निर्मित भवन** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक-एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 18.12.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर